



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-बी.आर.-अ.-14052026-272536
CG-BR-E-14052026-272536

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2161]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 2026/वैशाख 16, 1948

No. 2161]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 2026/VAISAKHA 16, 1948

रेल मंत्रालय

(पूर्व मध्य रेल)

अधिसूचना

पटना, 6 मई, 2026

का.आ. 2250(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाता है) कि धारा 20क के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोकप्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपबद्ध अनुसूचि में दिया गया है, झारखण्ड राज्य के धनबाद जिला अंतर्गत बलियापुर अंचल मौजा प्रधानखंटा में "विशेष रेल परियोजना पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए गोमोह से प्रधानखंटा सेक्शन के निर्माण हेतु" प्रभावित होने वाली अर्जनाधीन छुटी हुई भूमि अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने में अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हित बद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आपेक्ष कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला भू अर्जन पदाधिकारी धनबाद को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जायेगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा।

अनुसूची- 20A

क्रम. सं.	जिला का नाम	अंचल का नाम	मौजा का नाम	थाना संख्या	प्लॉट संख्या सर्वे संख्या	अश / पूर्ण	क्षेत्रफल (एकड में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	धनबाद	बलियापुर	प्रधानखंटा	18	1526	पूर्ण	0.0800	0.0324

[फा. सं. DCE/Con/W/DFCCIL/21/Land-Matter/Pradhankhanta]

शैलेन्द्र प्रसाद, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS**(East Central Railway)****NOTIFICATION**

Patna, the 6th May, 2026

S.O. 2250(E).—The Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act, being satisfied that the land, as brief description of which is set out in the Schedule annexed hereto, is required to be acquired for public purpose at Mauza - Pradhankhanta, Circle- Baliapur, District - Dhanbad in Jharkhand State for "Special Railway Project- Eastern Dedicated Freight Corridor" in connection with construction of Gomoh to Pradhankhanta section. The land left over under acquisition, which is required to be affected for construction, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made in writing to the Competent Authority, that is, the District Land Acquisition Officer, Dhanbad and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give an opportunity of being heard to the objector either in person or through a legal practitioner and After hearing all such objections and making such further inquiry, if any, as the competent authority may consider necessary, he may, by order, either allow or disallow the objections.

SCHEDULE-20A

Sl No.	Name of District	Name of Circle	Name of Mauja	Thana No.	Plot No.	Affected Status	Acquired Area in Acre	Acquired Area in Hectare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dhanbad	Baliapur	Pradhankhanta	18	1526	Full	0.0800	0.0324

[F. No. DCE/Con/W/DFCCIL/21/Land-Matter/Pradhankhanta]

SHAILENDRA PRASAD, Chief Administrative Officer/Construction